

नोटिस

(उपरोक्त आवास एवं विकास पारिषद आधानियम, 1965  
(उपरोक्त अधिनियम 1, 1966) की धारा-28 के अंतर्गत)

उत्प्र० आवास एवं विकास परिषद ने लखनऊ नगर की बढ़ती हुई आवासीय समस्या के निराकरण हेतु आवासीय योजना “भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-03 मोहनलालगंज,

उत्तर : पूर्वाचल एक्सप्रेसवे पर खसरा सं० 818 भाग, खसरा सं० 816 भाग, खसरा सं०- 815 भाग, खसरा सं० - 816 / 951 भाग, खसरा सं० 836 भाग, ग्राम बेली, परगना व तहसील—मोहनलालगंज, लखनऊ खसरा सं० 1451 भाग, खसरा सं० 1447 भाग, खसरा सं० 1448 भाग, खसरा सं० 1436 भाग, खसरा सं० 1438 भाग, खसरा सं० 1431 भाग, खसरा सं० 1432 भाग, खसरा सं० 1418, खसरा सं० 1417 भाग, खसरा सं० 1412 भाग, खसरा सं० 1403 भाग, खसरा सं० 1404 भाग, खसरा सं० 1365 भाग, खसरा सं० 1367 भाग, खसरा सं० 1368 भाग, खसरा सं० 1370 भाग, खसरा सं० 1212 भाग, खसरा सं० 1210 भाग, खसरा सं० 1211 भाग, ग्राम शिवलर, परगना व तहसील— मोहनलालगंज, लखनऊ, खसरा सं० 162 भाग, खसरा सं० 161 भाग, खसरा सं० 160 भाग, खसरा सं० 23 भाग, खसरा सं० 13 भाग, खसरा सं० 14 भाग, खसरा सं० 15 भाग, खसरा सं० 16 भाग, खसरा सं० 17 भाग, खसरा सं० 38 भाग, खसरा सं० 36 भाग, खसरा सं० 35 भाग, खसरा सं० 74 भाग, खसरा सं० 78 भाग, खसरा सं० 80, खसरा सं० 81 भाग, खसरा सं० 109 भाग, खसरा सं० 85 भाग, खसरा सं० 86 भाग, खसरा सं० 87 भाग, खसरा सं० 104 भाग, खसरा सं० 88 भाग, खसरा सं० 89 भाग, खसरा सं० 100 भाग, खसरा सं० 103 भाग, खसरा सं० 92 भाग, खसरा सं० 101 भाग, खसरा सं० 93 भाग, खसरा सं० 102 भाग, खसरा सं० 99 भाग, ग्राम देहरामऊ, परगना व तहसील— मोहनलालगंज, लखनऊ, खसरा सं० 57 भाग, खसरा सं० 2 भाग, खसरा सं० 3 भाग, खसरा सं० 7 भाग, खसरा सं० 11 भाग, खसरा सं० 19 भाग, खसरा सं० 20 भाग, खसरा सं० 39 भाग, खसरा सं० 40 भाग, खसरा सं० 221 भाग, खसरा सं० 220 भाग, खसरा सं० 218 भाग, खसरा सं० 217 भाग, खसरा सं० 215 भाग, खसरा सं० 212 भाग, खसरा सं० 211 भाग, खसरा सं० 199 भाग, खसरा सं० 198 भाग, खसरा सं० 328 भाग, खसरा सं० 331 भाग, खसरा सं० 332 भाग, ग्राम पहासा, परगना व तहसील— मोहनलालगंज, लखनऊ ।

**पूर्व :** खसरा सं० 30, खसरा सं० 29, खसरा सं० 27, खसरा सं० 24, खसरा सं० 23, खसरा सं० 22, खसरा सं० 21, खसरा सं० 20, खसरा सं० 18, ग्राम सिठौली कला, परगना व तहसील—मोहनलालगंज, लखनऊ, खसरा सं० 1, ग्राम रायपुर, परगना व तहसील—मोहनलालगंज, लखनऊ, खसरा सं० 175, ग्राम पहासा, परगना व तहसील—मोहनलालगंज, लखनऊ, खसरा सं० 123, खसरा सं० 131, खसरा सं० 132, खसरा सं० 133, खसरा सं० 135, खसरा सं० 136, खसरा सं० 137, खसरा सं० 141, खसरा सं० 142, खसरा सं० 143, ग्राम इचवलिया, परगना व तहसील—मोहनलालगंज, लखनऊ, खसरा सं० 1338, खसरा सं० 1339, ग्राम महुराकला परगना व तहसील—मोहनलाल गंज, लखनऊ।

**दाखण :** इन्द्रा कनाल पर खसरा सं 112, ग्राम हुआपुर, परगना व तहसील—मोहनलालगंज, लखनऊ, खसरा सं 526, ग्राम सिठौली कला, परगना व तहसील—मोहनलालगंज, लखनऊ।

**मोहनलालगंज, लखनऊ, खसरा सं० 94, ग्राम हबुआपुर, परगना कत्तहसील—मोहनलालगंज, लखनऊ।**

योजना में समावृष्टि भूमि का विवरण व मानवत्र, कार्यालय आवास आयुक्त, (भूमि अर्जन अनुभाग) उठप्र० आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-07, उठप्र० आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-09, वृन्दावन योजना, लखनऊ में किसी भी कार्य दिवस में पूर्वहन 11:00 से अपराहन 02:00 बजे तक देखे जा सकते हैं।

योजना क्षेत्र में स्थित निर्माणों व योजना की सीमा के 500.00 मीटर के अन्तर्गत आने वाली भूमि / निर्माण के भू-स्वामियों पर उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 के प्राविधानों के अनुसार बेटरमेन्ट फी / विकास व्यय भी अधिभारित होगा।

योजना के विपरीत आपत्तियों को, इस नोटिस के प्रथम बार उ०प्र० ८० गजट में प्रकाशन की तारीख से ३० दिन के अन्दर कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अनुभाग), उ०प्र० ८० आवास एवं विकास परिषद, १०४, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-७, उ०प्र० ८० आवास विकास परिषद, ऑफिस काम्पलेक्स सेक्टर-०९, वृन्दावन योजना, लखनऊ में प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित समय के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति में योजना का सही नाम व योजना में समाविष्ट आपत्तिकर्ता की भूमि/ भवन/ ग्राम का नाम/ खसरा नम्बर/ भूमि का क्षेत्रफल एवं अन्य सभी विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिए।

(डॉ बलकार सिंह)  
आवास आयुक्त

## अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें

 1800-180-5333 (Toll-Free), 0522-2236803

   UPHDBHQ  www.upavp.ir